मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम– 1999

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मध्य प्रदेश

क्रमांक–307–3757–99/23/आसां. भोपाल, दिनांक 2 मार्च, 2000

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 है ।

(2) ये नियम 1–जनवरी, 2000 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं –

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) ;

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ; और

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

3. गर्भावधि –

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिय गर्भावधि अटठाईस सप्ताह होगी ।

4. धारा 4 (4) के अधीन रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना –

धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में तैयार की जायेगी और धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकी रिपोर्ट के साथ मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, प्रतिवर्ष, उस वर्ष के, जिस वर्ष से रिपोर्ट सम्बन्धित हो, आगामी वर्ष की 31 जुलाई तक राज्य सरकार को भेजी जायेगी ।

5. जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिय प्ररूप आदि –

(1) जन्म–मृत्यु तथा मृत जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिये, यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रार को दी जाने के लिए अपेक्षित जानकारी, क्रमशः प्ररूप क्रमांक 1,2 एवं 3 में होगी जिसे इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूपसे रिपोर्ट प्ररूप कहा जाएगा सूचना, यदि मौखिक रूप से दी जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त रिपोर्ट प्ररूपों में प्रविष्ट की जाएगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आदि प्राप्त किया जायेगा ।

(2) रिपोर्ट प्ररूप का वह भाग, जिसमें विधिक जानकारी है ''विधिक भाग'' कहा जायेगा और सांख्यिकी जानकारी वाला भाग ''सांख्यिकीय भाग'' कहा जायेगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जानकारी जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर दी जायेगी ।

6. यान में जन्म या मृत्यु –

(1) चलते हुए यान में जन्म या मृत्यु होने के संबंध में यान का भार साधक व्यक्ति प्रथम विराम स्थान पर धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा या दिलवायेगा ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए शब्द ''यान'' से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार का ऐसा वाहन जिसका उपयोग भूमि, वायु या जल पर किया जाता हो तथा उसमें ऐसा कोई वायुयान, नौका, जहाज, रेल का डिब्बा, मोटर कार, मोटर–साइकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा सम्मिलित है ।

(2) मृत्यु के उन मामलों में (जो धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ड.) तक के अधीन नहीं आते हो) जिनमें मृत्यु समीक्षा की गई हो तो ऐसा अधिकारी, जो मृत्यु समीक्षा करता है, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जानकारी देगा या दिलवायेगा ।

7. धारा 10 (3) के अधीन प्रमाण पत्र का प्ररूप –

धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित मृत्यु के कारण के बारे में प्रमाण पत्र, प्ररूप क्रमांक–4 या 4 क में जारी किया जायगा और रजिस्ट्रार, मृत्यु रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियॉ करने के बाद ऐसे समस्त प्रमाण पत्र मुख्य रजिस्ट्रार अथवा इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उस माह के, जिससे कि वे प्रमाण पत्र सम्बन्धित हैं, ठीक बाद आने वाले माह की 10 तारीख तक भेजेगा ।

8. धारा 12 के अधीन दिये जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रविष्टियों के उद्धरण –

(1) सूचनादाता को धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर से दी जाने वाली प्रविष्टियों के उद्धरण, यथास्थिति, प्ररूप क्रमांक 5 या प्ररूप क्रमांक 6 में होंगे ।

(2) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर होने पर वाले जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, जिसकी रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु की सीधे ही रिपोर्ट की गई हो, यथा स्थिति, घर या गृहस्थी का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में घर में मौजूद घर के मुखिया का निकटतम नातेदार, रजिस्ट्रार से, जन्म या मृत्यु के उद्धरण उसके संबंध में रिपोर्ट के तीस दिन के भीतर प्राप्त कर सकेगा ।

(3) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर पर होने वाले जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, जिनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट की गई हो, ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु से प्राप्त उद्धरण, यथास्थिति, संबंधित घर या गृहस्थी के मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में, घर में मौजूद घर के मुखिया के निकटतम नातेदार को, रजिस्ट्रार द्वारा इसके जारी होने के तीस दिन के भीतर भेज देगा ।

(4) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ड.) में निर्दिष्ट संस्थागत जन्म और मृत्यु की घटनाओं के मामले में, नवजात या मृतक का निकटतम नातेदार, संबंधित संस्था के अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति से उद्धरण, जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के तीस दिनों के भीतर प्राप्त कर सकेगा ।

(5) यदि उपनियम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट संबंधित व्यक्ति द्वारा, उनमें दी गई कालावधि के भीतर जन्म या मृत्यु का उद्धरण प्राप्त नही किया गया है तो रजिस्ट्रार या संबंधित संस्था का अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति, जैसा कि उप नियम (4) में निर्दिष्ट किया गया, उपरोक्त कालावधि समाप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर उसे संबंधित परिवार को डाक से भेज देगा ।

9. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये प्राधिकारी तथा उसके लिए देय फीस –

(1) ऐसे किसी भी जन्म या मृत्यृ का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी जानकारी, नियम 5 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु इसके घटित होने के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई हो, दो रूपये की विलम्ब फीस का भुगतान करने पर किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी भी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी जानकारी उसके घटित होने के तीस दिनों के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई हो, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से तथा पांच रूपये की विलम्ब फीस का भुगतान करने पर और नोटरी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र को पेश किये जाने पर ही किया जायेगा ।

(3) ऐसे किसी भी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जो उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नही किया गया हो, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर और दस रूपये की विलम्ब फीस का भुगतान करने पर ही किया जाएगा ।

10. धारा 14 के प्रयोजन के लिए कालावधि –

(1) जहॉ किसी बालक का जन्म बिना किसी नाम के रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहॉ ऐसे बालक के माता–पिता या अभिभावक, बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 मास के भीतर, बालक के नाम के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार को या तो मौखिक या लिखित में जानकारी देगा परन्तु यदि जानकारी उपरोक्त 12 मास की कालावधि के पश्चात किन्तु 15 वर्ष की कालावधि के भीतर दी जाती है, तो उसकी संगणनाः–

(एक) उस मामले में जहॉ रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1986 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व किया गया था वहॉ ऐसी तारीख से की जाएगी; या

(दो) उस मामले में जहॉ रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1986 के प्रारंभ तारीख के पश्चात् किया गया हो वहॉ ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी औरा धारा 23 की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रार –

(क) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो पॉच रूपये की विलम्ब फीस का भुगतान किया जाने पर जन्म रजिस्टर के सम्बन्धित प्ररूप के सुसंगत कालम में नाम की तत्काल प्रविष्टि करेगा,

(ख) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नही है एवं यदि जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है, तो आवश्यक प्रविष्टियॉ देते हुए रिपोर्ट करेगा, और यदि जानकारी लिखित में दी जाती है तो उसे, पॉच रूपये की विलम्ब फीस का भुगतान किये जाने पर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए अग्रेषित करेगा ।

(2) यथा स्थिति माता–पिता या अभिभावक भी धारा 12 के अधीन उसे दी गई उद्धरण की प्रतिलिपि या धारा 17 के अधीन जारी किया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और ऐसे प्रस्तुतीकरण पर रजिस्ट्रार, बालक के नाम के सम्बन्ध में आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) में अधिकथित किए गए अनुसार कार्यवाही करेगा ।

11. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टि में शुद्धि या उसका रद्दरण –

(1) यदि रजिस्ट्रार को यह रिपोर्ट की जाती है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय अथवा औपचारिक त्रुटि की गई है या यदि ऐसी त्रुटि अन्यथा उसकी जानकारी में आये और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है, तो रजिस्ट्रार मामले की जॉच करेगा तथा यदि उसका इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसी कोई त्रुटि की गई है तो वह धारा 15 में उपबन्धित किये गए अनुसार उस त्रुटि को (प्रविष्टि को शुद्ध करते हुए या रद्द करते हुए) शुद्ध करेगा और वह त्रुटि और यह बात दर्शाते हुए कि उसे किस प्रकार शुद्ध किया गया है, प्रविष्टि का उद्धरण राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट मामले में यदि रजिस्टर उसके कब्जे में न हो तो रजिस्ट्रार, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करेगा तथा सुसंगत रजिस्टर मंगवायेगा एवं मामले की जॉच करने के पश्चात् यदि उसका इस बात से समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई त्रुटि हुई है, तो आवश्यक शुद्धि करेगा ।

(3) उप नियम (2) में यथा वर्णित ऐसी कोई शुद्धि, रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी ।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि सारतः गलत है तो रजिस्ट्रार, उस व्यक्ति द्वारा एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत की जाने पर, जिसमें त्रुटि का स्वरूप दर्शाया गया हो और मामले के तथ्यों की जानकारी रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामलेके सही तथ्य बताये गये हों, धारा 15 के अधीन विहित रीति में प्रविष्टि में शुद्धि कर सकेगा ।

(5) उप–नियम (1) तथा उप–नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी रजिस्ट्रार आवश्यक ब्यौरों सहित, उसमें निर्दिष्ट प्रकार की कोई शुद्धि की जाने की रिपोर्ट राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को देगा ।

(6) यदि रजिस्ट्रार के समाधान प्रदरूप में यह सिद्ध हो जाये कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि कपटपूर्ण रूप से या अनुचित रूप से की गई है, तो वह उसकी रिपोर्ट आवश्यक ब्यौरों सहित मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा धारा 25 के अधीन इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को करेगा और उससे कोई सूचना प्राप्त होने पर उस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस नियम के अधीन कोई प्रविष्टि शुद्ध या रद्द की गई हो तो तत्सम्बन्धी सूचना उस व्यक्ति के स्थायी पते पर भेजी जाएगी जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन जानकारी दी है ।

12. धारा 16 के अधीन रजिस्टर का प्ररूप –

प्ररूप क्रमांक 1,2 एवं 3 का विधिक भाग, क्रमशः जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर (प्ररूप क्रमांक 7,8 एवं9) का रूप ले लेंगे ।

13. धारा 17 के अधीन देय फीस तथा डाक प्रभार –

(1) धारा 17 के अधीन तलाशी करने, उद्धरण या अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस निम्नानुसार होगी :

	रूपये
(क) प्रथम वर्ष में एकल प्रविष्टि जिसके लिए तलाशी की गई है की तलाशी के लिये	2.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिये, जिसके लिये तलाशी जारी रही हो	2.00
(ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिये	5.00
(घ) जन्म या मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र देने के लिये	2.00

(2) जन्म या मृत्यु से संबंधित ऐसा कोई उद्धरण रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति प्ररूप क्रमांक 5 या प्ररूप क्रमांक 6, में जारी किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) की धारा 76 में उपबंधित रीति में प्रमाणित किया जायेगा ।

(3) यदि जन्म और मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकृत न पाई जाए तो रजिस्ट्रार, प्ररूप क्रमांक 10 में अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4) ऐसा कोई उद्धरण या अप्राप्यता प्रमाण पत्र, उसकी मांग करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या डाक प्रभारों का भुगतान किया जाने पर उसे डाक से भेजा जा सकेगा ।

14. धारा 19 (1) के अधीन अंतराल तथा कालिक विवरणियों के प्ररूप –

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक मास से संबंधित रिपोर्ट प्ररूपों के सांख्यिकी भागों को जन्म के लिय प्ररूप 11 में, मृत्यु के लिये प्ररूप 12 में एवं मृत जन्म के लिये प्ररूप 13 में संक्षिप्त मासिक रिपोर्ट के साथ, मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आगामी मास की 5 तारीख को या उससे पूर्व भेजेगा ।

(2) ऐसा प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त किये गये रिपोर्ट प्ररूपों के समस्त सांख्यिकी भागों को मुख्य रजिस्ट्रार को, उस मास की 10 तारीख तक न कि उसके पश्चात् अग्रेषित करेगा ।

15. धारा 19 (2) के अधीन सांख्यिकी रिपोर्ट –

धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकी रिपोर्ट में इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूपों में सारणी अंतर्विष्ट होगी और उसे प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के ठीक आगामी वर्ष की 31 जुलाई के पूर्व संकलित किया जाएगा और उसके पश्चात् बाद उसे यथाशक्य शीघ्र प्रकाशित किया जावेगा किन्तु किसी भी दशा में उस तारीख से 5 माह में न कि उसके पश्चात् किया जाएगा ।

16. अपराधों के प्रशमन के लिये शर्ते :

(1) धारा 23 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, इस अधिनियम के अधीन दाण्डिक कार्यवाही संस्थित होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ऐसे अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकेगा जिसे इस संबंध में मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि अपराध असावधानी से या भूल से पहली बार हो गया था ।

(2) ऐसे किसी भी अपराध का प्रशमन ऐसी राशि का भुगतान करने पर, जो धारा 23 की उपधारा (1), (2) एवं (3) के अधीन किए गए अपराधों के लिये अधिक से अधिक पचास रूपये और उपधारा (4) के अधीन किए गए अपराधों के लिये अधिक से अधिक दस रूपये तक जैसा कि उक्त अधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा ।

17. धारा 30 (2) (ट) के अधीन रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख –

(1) जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत जन्म रजिस्टर स्थायी महत्वके अभिलेख हैं तथा उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा ।

(2) धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रार को प्राप्त न्यायालयीन आदेश एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विलम्बित
रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा देने के आदेश जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत जन्म रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा ।

(3) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन तैयार किया गया मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र, मुख्य रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कम से कम 5 वर्ष की कालावधि के लिये प्रतिधारित किया जायेगा ।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत जन्म रजिस्टर अपने कार्यालय में उस कलेण्डर वर्ष, जिससे कि वह संबंधित है, के समाप्त होने के पश्चात, बारह मास की कालावधि तक प्रतिधारित किये जाएंगे और तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये अंतरित किये जाएंगे ।

18. निरसन तथा व्यावृत्ति –

मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1973 एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं :–

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है ।

अधिनियम के कार्यकरण पर रिपोर्ट का प्ररूप

(नियम 4 देखिए)

1. राज्य, उसकी सीमाओं तथा राजस्व जिलों का संक्षिप्त विवरण ।
2. प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन ।
3. क्षेत्रों में अंतर के विषय में स्पष्टीकरण ।
4. रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र–विस्तार में परिवर्तन ।
5. विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रीकरण तंत्र की प्रशासनिक रचना ।
6. इस अधिनियम के प्रति जनता की सामान्य प्रतिक्रिया ।
7. जन्म तथा मृत्यु की अधिसूचना ।
8. मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन में प्रगति ।
9. अभिलेखों का बनाये रखा जाना ।
10. प्रमाण पत्र जारी करने के लिये जन्म तथा मृत्यु रजिस्टर की तलाशी ।
11. विलम्ब से किये गये रजिस्ट्रीकरण ।
12. अभियोजन तथा अपराधों का प्रशमन ।
13. अधिनियम के क्रियान्वयन में सम्मुख आई कठिनाइयां –

    (एक) प्रशासनिक

    (दो) अन्य
14. अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश तथा अनुदेश ।
15. सामान्य टिप्पणियां ।

जन्म रिपोर्ट प्ररूप
(नियम 5 देखिये)

प्ररूप क्रमांक–1 जन्म रिर्पोट प्ररूप

(विधिक जानकारी) **(सांख्यिकीय जानकारी)** **प्ररूप क्रमांक 1**

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

1. जन्म दिनांक.....
2. लिंग – पुरूष/स्त्री
3. बालक का नाम.....
   (यदि कोई हो)
4. पिता का नाम .....
   एवं पता .....
5. माता का नाम.....
6. जन्म स्थान (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   (1) अस्पताल / संस्था में
   नाम.....
   (2) घर में
   पता.....
   .....
7. सूचनादाता का नाम व पता.....
   .....

दिनांक सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

8. माता के निवास का नगर/ग्राम :
   (अ) नगर या ग्राम का नाम .....
   (ब) क्या वह नगर है या ग्राम है ?
   (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   1. नगर 2. ग्राम
   (स) जिले का नाम .....
   (द) राज्य का नाम .....
9. परिवार का धर्म .....
   (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   1. हिन्दू 2. मुस्लिम 3. ईसाई
   4. अन्य धर्म (नाम लिखें) .....
10. पिता की शिक्षा का स्तर .....
    (पूर्ण किए गए शैक्षणिक स्तर को प्रविष्ट करें)
11. माता की शिक्षा का स्तर .....
    (पूर्ण किए गए शैक्षणिक स्तर को प्रविष्ट करें)
12. पिता का व्यवसाय .....
13. माता का व्यवसाय .....

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

14. विवाह के समय माता की आयु .....
    (पूर्ण वर्षों में)
15. इस प्रसूति के समय माता की आयु .....
16. इस बालक सहित माता द्वारा कुल जीवित
    जन्में बच्चों की संख्या .....
17. प्रसूति के समय परिचर्या (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
    1. संस्थागत – शासकीय
    2. संस्थागत – निजी या अशासकीय
    3. डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई
    4. पारम्पारिक जन्म परिचारक (दाई)
    5. नातेदार या अन्य
18. प्रसूति का तरीका (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
    1. प्राकृतिक 2. शल्यक्रिया (आपरेशन)
    3. उपकरण द्वारा (फोरसेप/वैक्यूम)
19. जन्म के समय वजन (कि. ग्राम में) .....
20. गर्भ की अवधि (सप्ताहों में) .....

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
रजिस्ट्रीकरण इकाई .....
नगर/ग्राम .....
जिला .....
टिप्पणी .....

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

नाम	**कोड क्रमांक**
जिला	.....
तहसील	.....
नगर/ग्राम	.....
रजिस्ट्रीकरण इकाई	

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
जन्म दिनांक .....
लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
जन्म का स्थान : 1. अस्पताल/संस्था 2. घर

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

मृत्यु रिपोर्ट प्ररूप
(नियम 5 देखिये)

प्ररूप क्रमांक–2 मृत्यु रिर्पोट प्ररूप

(विधिक जानकारी) **(सांख्यिकीय जानकारी)** **प्ररूप क्रमांक 2**

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

1. मृत्यु दिनांक.....
2. मृतक कानाम .....
   एवं पूर्ण पता .....
3. मृतक का लिंग – (पुरूष/स्त्री)
4. मृतक की आयु .....
   (यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक हो तो पूर्ण किये गए वर्ष,
   यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से कम थी तो आयु मास में तथा
   यदि 1 मास से कम था तो पूर्ण दिनों की संख्या और यदि एक दिन
   से कम हो तो घंटे)

4(क) मृतक के पिता/पति का नाम .....

5. मृत्यु का स्थान (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)

(1) अस्पताल / संस्था में
   नाम.....

(2) घर में
   पता.....
   .....

(3) अन्य स्थान पर .....

6. सूचनादाता का नाम व पता .....

दिनांक सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

7. मृतक के सामान्य निवास का स्थान :
   (अ) स्थान का नाम .....
   (ब) क्या वह नगर है या ग्राम है ?
   (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   1. नगर 2. ग्राम
   (स) जिले का नाम .....
   (द) राज्य का नाम .....
8. धर्म (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   1. हिन्दू 2. मुस्लिम 3. ईसाई
   4. अन्य धर्म (नाम लिखें) .....
9. मृतक का व्यवसाय .....
10. मृत्यु से पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार
    (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
    1. संस्थागत
    2. संस्थागत के अलावा अन्य चिकित्सा
    3. कोई चिकित्सा विचारण नहीं

11. क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया ?
    (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
    1. हां 2. नहीं
12. बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण
    (चाहे चिकित्सीय रूप से प्रमाणित हो अथवा नहीं)
    .....
13. स्त्री मृत्यु की दशा में क्या मृत्यु गर्भावस्था में, प्रसूति के समय या गर्भावस्था के समाप्त होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर हुई ?
    (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
    1. हाँ 2. नहीं
14. यदि धूम्रपान का आदि था तो कितने वर्षों सें ?
    .....
15. यदि किसी भी रूप में तम्बाकू सेवन करता था तो कितने वर्षों से ?
    .....
16. यदि सुपारी (पान मसाला या पान को सम्मिलित करते हुए) चबाने का आदी था तो कितने वर्षों से ?.....
17. यदि अल्कोहल पीने का आदी था तो कितने वर्षों से ?
    .....

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
रजिस्ट्रीकरण इकाई .....
नगर/ग्राम .....
जिला .....
टिप्पणियां .....

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

नाम	**कोड क्रमांक**
जिला	.....
तहसील	.....
नगर/ग्राम	.....
रजिस्ट्रीकरण इकाई	

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
मृत्यु दिनांक .....
आयु (वर्ष/माह/दिन/घण्टे) .....
लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
मृत्यु का स्थान : 1. अस्पताल/संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

मृत जन्म रिपोर्ट प्ररूप
(नियम 5 देखिये)

प्ररूप क्रमांक–3 मृत जन्म रिर्पोट प्ररूप

(विधिक जानकारी) **(सांख्यिकीय जानकारी)** **प्ररूप क्रमांक 3**

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

1. जन्म दिनांक.....
2. लिंग – पुरूष/स्त्री
3. बालक के पिता का नाम.....
   एवं पता .....
4. माता का नाम .....
5. जन्म स्थान (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   (1) अस्पताल / संस्था में
   नाम.....
   (2) घर में
   पता .....
   .....
   .....
6. सूचनादाता का नाम व पता.....
   .....

दिनांक सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा)

7. माता के सामान्य निवास स्थान :
   (अ) स्थान का नाम .....
   (ब) निवास नगर है या ग्राम है ? (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   1. नगर 2. ग्राम
   (स) जिले का नाम .....
   (द) राज्य का नाम .....
8. इस जन्म के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में)
9. माता की शिक्षा का स्तर .....
   (पूर्ण किए गए शैक्षणिक स्तर को प्रविष्टि करें)
10. प्रसूति के समय परिचर्या (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
    1. संस्थागत – शासकीय
    2. संस्थागत – निजी या अशासकीय
    3. डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई
    4. पारम्पारिक जन्म परिचारक (दाई)
    5. नातेदार या अन्य
11. गर्भावस्था की कुल अवधि (सप्ताहों में) .....
12. मृत जन्म का कारण (यदि ज्ञात हो) .....

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
रजिस्ट्रीकरण इकाई .....
नगर/ग्राम .....
जिला .....
टिप्पणी (यदि कोई हो).....

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

नाम	**कोड क्रमांक**
जिला	.....
तहसील	.....
नगर/ग्राम	.....
रजिस्ट्रीकरण इकाई	

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
जन्म दिनांक .....
लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
जन्म का स्थान : 1. अस्पताल/संस्था 2. घर

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

प्ररूप क्रमांक 4
(नियम 7 देखिए)

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र

[अस्पताल के रोगियों हेतु । मृत जन्म के लिये उपयोग न करें ।]

प्ररूप क्रमांक 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजने के लिये

अस्पताल का नाम .....

मै, एतद् द्वारा, यह प्रमाणित करता हूं कि व्यक्ति जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, की मृत्यु अस्पताल के वार्ड क्रमांक ..... में दिनांक ..... समय ..... पूर्वान्ह/अपरान्ह को हुई ।

मृतक का नाम .....

लिंग	मृत्यु के समय आयु				सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग हेतु
	यदि एक वर्ष या अधिक हो तो आयु वर्षों में	यदि एक वर्ष से कम आयु हो तो आयु मास में	यदि एक मास से कम आयु हो तो आयु दिनों में	यदि एक दिन से कम आयु हो तो आयु घंटों में	
1. पुरूष 2. स्त्री					

मृत्यु का कारण I. तात्कालिक कारण रोग, चोट या व्याधी का नाम जिसके कारण मृत्यु हुई कथन करें । मृत्यु का प्रकार जैसे कि हृदय गति बंद होने, अस्थेनियां इत्यादि का कथन नहीं करें ।	रोग का प्रकोप होने और मृत्यु होने के बीच के अंतराल की अनुमानित अवधि	
(क) ..... के कारण (या के परिणामस्वरूप)	.....	.....
पूर्ववर्ती कारण पूर्व विकृत स्थितियां, यदि कोई हों, जो उपरोक्त कारण बनने में सहयोगी रही हों, अन्त में अन्तर्निहित स्थिति का कथन करें ।		
(ख) ..... के कारण (या के परिणामस्वरूप)	.....	.....
(ग)	.....	.....
II. अन्य महत्वपूर्ण स्थितियॉ जो मृत्यु की सहयोगी हों परन्तु जिनका रोग या रोग उत्पन्न करने वाली स्थितियों से कोई संबंध न हो ।		

मृत्यु का प्रकार	**चोट कैसे लगी ?**
1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 3. आत्महत्या 4. मानव वध 5. अन्वेषण लंबित	
यदि महिला थी, तो क्या गर्भावस्था थी ? मृत्यु उससे सम्बन्धित थी, 1. हॉ 2. नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रसव हुआ ? 1. हॉ 2. नहीं	

सत्यापन का दिनांक .....

मृत्यु का कारण प्रमाणित करने वाले
चिकित्सीय परिचारक का नाम एवं हस्ताक्षर

(पृथक किया जाए तथा मृतक के नातेदार को सौंपे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....
आत्मज / पत्नी / पुत्री श्री .....
निवासी ..... दिनांक ..... को इस अस्पताल में भर्ती हुए और दिनांक ..... को मृत्यु हुई ।

चिकित्सक .....
.....
(चिकित्सा अधीक्षक
अस्पताल का नाम)

प्ररूप क्रमांक 4 क
(नियम 7 देखिए)

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र

[गैर संस्थागत मृत्युओं के लिये । मृत जन्म के लिये उपयोग न किया जाए ।]

प्ररूप क्रमांक 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजने के लिये

मै, एतद् द्वारा, यह प्रमाणित करता हूं कि मृतक श्री/श्रीमती/कुमार .....
आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री ..... निवासी .....
दिनाक ..... से ..... तक मेरी चिकित्सा में था/थी और उनकी मृत्यु
दिनांक ..... बजे .....(पूर्वान्ह/अपरान्ह) को हुई ।

मृतक का नाम .....

लिंग	मृत्यु के समय आयु				सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग हेतु
	आयु यदि पूर्ण वर्षों में	यदि एक वर्ष से कम आयु हो तो आयु पूर्ण मासों में	यदि एक मास से कम आयु हो तो आयु पूर्ण दिनों में	यदि एक दिन से कम हो तो आयु पूर्ण घंटों में	
3. पुरूष 4. स्त्री					
मृत्यु का कारण I. तात्कालिक कारण रोग, चोट या व्याधी का नाम जिसके कारण मृत्यु हुई कथन करें । मृत्यु का प्रकार जैसे कि हृदय गति बंद होने, अस्थेनियां इत्यादि का कथन नहीं करें ।				रोग का प्रकोप होने और मृत्यु होने के बीच के अंतराल की अनुमानित अवधि	
(क) ..... के कारण (या के परिणामस्वरूप)				.....	.....
पूर्ववर्ती कारण विकृत स्थितियां, यदि कोई हों, जो उपरोक्त कारण में सहयोगी रही हों, अन्त में अन्तर्निहित अंतिम स्थिति का कथन करें ।					
(ख) ..... के कारण (या के परिणामस्वरूप)					
(ग) ..... II. अन्य महत्वपूर्ण स्थितियॉ जो मृत्यु की सहयोगी हों परन्तु जिनका रोग या रोग उत्पन्न करने वाली स्थितियों से कोई संबंध न हो ।					

यदि मृतक महिला थी, तो क्या गर्भावस्था थी ? मृत्यु उससे सम्बन्धित थी, 1. हॉ 2. नहीं

यदि हाँ, तो क्या प्रसव हुआ ? 1. हॉ 2. नहीं

प्रमाणीकरण का दिनांक .....

मृत्यु का कारण प्रमाणित करने वाले
चिकित्सीय परिचारक का नाम एवं हस्ताक्षर

(पृथक किया जाए तथा मृतक के नातेदार को सौंपे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री .....
निवासी ..... दिनांक ..... से ..... तक मेरी चिकित्सा में थे/थी और उनकी मृत्यु दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में हुई ।

चिकित्सक .....
.....
(चिकित्सक का पता एवं हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित)

प्ररूप क्रमांक 5
(नियम–8 देखिए)

जन्म प्रमाण पत्र
(धारा 12 / 17 के अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल जन्म अभिलेख से जो .... (रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र), ... तहसील, ... जिला .... राज्य .... के रजिस्टर से ली गई है :

नाम ....

लिंग ....

जन्म दिनांक ....

जन्म स्थान ....

पिता का नाम ....

माता का नाम ....

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ....

रजिस्ट्रीकरण दिनांक ....

दिनांक ....

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
सील

प्ररूप क्रमांक 6
(नियम–8 देखिए)

मृत्यु प्रमाण पत्र

(धारा 12/17 के अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से जो ..... (रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र), ... तहसील, ... जिला ..... राज्य ..... के रजिस्टर से ली गई है :

नाम .....

पिता का नाम .....

लिंग .....

मृत्यु दिनांक .....

मृत्यु स्थान .....

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....

दिनांक .....

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
सील

टीप रजिस्टर के अंकित मृत्यु के कारण का विवरण नहीं दिया जाय (धारा 17 (1) का परन्तुक देखें)

प्ररूप क्रमांक 7
(नियम 12 देखिए)

जन्म रजिस्टर
प्ररूप क्रमांक – 1 जन्म रिपोर्ट
(विधिक जानकारी)
(सूचनादाता द्वारा भरा जाए)

1. जन्म दिनांक .....
2. लिंग – पुरूष / स्त्री
3. बालक का नाम .....
   (यदि कोई हो)
4. पिता का नाम .....
   एवं पता .....
5. माता का नाम .....
6. जन्म स्थान (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)
   (1) अस्पताल / संस्था में
   नाम .....
   (2) घर में
   पता .....
   .....
7. सूचनादाता का नाम व पता .....
   .....

दिनांक सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....
रजिस्ट्रीकरण इकाई .....
नगर/ग्राम .....
जिला .....
टिप्पणियाँ .....

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

प्ररूप क्रमांक 8
(नियम 12 देखिए)

मृत्यु रजिस्टर
प्ररूप क्रमांक – 2 मृत्यु रिपोर्ट
(विधिक जानकारी)
(सूचनादाता द्वारा भरा जाए)

1. मृत्यु दिनांक .....

2. मृतक का नाम .....

   एवं पूर्ण पता .....

3. मृतक का लिंग – पुरूष / स्त्री

4. मृतक की आयु .....

   (यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक हो तो पूर्ण किये गए वर्ष, यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से कम थी तो आयु मास में तथा यदि 1 मास से कम था तो पूर्ण दिनों की संख्या और यदि एक दिन से कम हो तो घंटे)

4(क) मृतक के पिता / पति का नाम .....

5. मृत्यु का स्थान (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)

   (1) अस्पताल / संस्था में

   नाम .....

   (2) घर में

   पता .....

   (3) अन्य स्थान पर .....

6. सूचनादाता का नाम व पता .....

दिनांक सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....

रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

नगर/ग्राम .....

जिला .....

टिप्पणियाँ .....

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

प्ररूप क्रमांक 9
(नियम 12 देखिए)

मृत जन्म रजिस्टर
प्ररूप क्रमांक – 3 मृत जन्म रिपोर्ट
(विधिक जानकारी)
(सूचनादाता द्वारा भरा जाए)

1. जन्म दिनांक .....
2. लिंग – पुरूष / स्त्री
3. बालक के पिता का नाम .....

   एवं पूर्ण पता .....
4. माता का नाम .....
5. जन्म का स्थान (निम्न समुचित प्रविष्टि पर का निशान लगाएं)

   (1) अस्पताल / संस्था में

   नाम .....

   (2) घर में

   पता .....

   .....
6. सूचनादाता का नाम व पता .....

   .....

   .....

दिनांक सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाए

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

रजिस्ट्रीकरण दिनांक .....

रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

नगर/ग्राम .....

जिला .....

टिप्पणियाँ (यदि कोई हो).....

रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
एवं सील

प्ररूप क्रमांक 10
(नियम 13 देखिए)

अप्राप्यता प्रमाण पत्र
(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 के अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री ..... के निवेदन पर

वर्ष (वर्षों) ..... (स्थानीय क्षेत्र) .....,

तहसील ..... जिला .....

राज्य ..... के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख की तलाशी ली गई और पाया

गया कि ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री .....

के जन्म / मृत्यु सम्बन्धी घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

दिनांक .....

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
सील

प्ररूप क्रमांक 11
(नियम 14 देखिए)

जन्म की मासिक संक्षिप्त रिपोर्ट

1. प्रतिवेदन मास ..... वर्ष .....

2. जिला .....

3. नगर/ग्राम .....

4. रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

5. रजिस्ट्रीकृत जन्मों की संख्या :

   (क) घटित होने के एक वर्ष के भीतर .....

   (ख) घटित होने के एक वर्ष के पश्चात् .....

   योग * (क) एवं (ख) .....

* योग इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न जन्म रिपोर्ट प्ररूपों (प्ररूप क्रमांक–1) के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होना चाहिये ।

दिनांक

रजिस्ट्रार का नाम
एवं
हस्ताक्षर

मुख्य रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई ।

प्ररूप क्रमांक 12
(नियम 14 देखिए)

मृत्यु की मासिक संक्षिप्त रिपोर्ट

1. प्रतिवेदन मास ..... वर्ष .....

2. जिला .....

3. नगर/ग्राम .....

4. रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

5. मास के दौरान पंजीकृत मृत्युओं का विवरण :

मृत्यु			बालक मृत्यु	मातृत्व मृत्यु
एक वर्ष के भीतर रजिस्टर की गई	एक वर्ष के पश्चात् रजिस्टर की गई	* योग		
1	2	3	4	5

टीप : मृत्यु में बालक एवं मातृत्व मृत्यु भी सम्मिलित की जाएंगी ।

* योग इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न मृत्यु रिपोर्ट प्ररूपों (प्ररूप क्रमांक–2) के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होना चाहिये ।

दिनांक

रजिस्ट्रार का नाम
एवं
हस्ताक्षर

मुख्य रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई ।

प्ररूप क्रमांक 13
(नियम 14 देखिए)

मृत जन्म की मासिक संक्षिप्त रिपोर्ट

1. प्रतिवेदन का मास ..... वर्ष .....

2. जिला .....

3. नगर/ग्राम .....

4. रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

5. रजिस्ट्रीकृत मृत जन्म की संख्या *

* रजिस्ट्रीकृत मृत जन्म की संख्या मासिक रिपोर्ट के संलग्न मृत जन्म रिपोर्ट प्ररूपों (प्ररूप क्रमांक–3) के सांख्यिकीय भाग के बराबर होना चाहिये ।

दिनांक

रजिस्ट्रार का नाम
एवं
हस्ताक्षर

मुख्य रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई ।